न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 60/2018 राजस्व अपील

1. देवनारायण पुत्र सुखचन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 08.02.2018 व 21.03.2018
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम देवनारायण प्रकरण संख्या 01/2016
अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री चरण सिंह डोई अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांकः 01.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 959, 960 रकबा 0.11 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2073 में अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 08.02.2018 व 21.03.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.02.2018 व 21.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.11.2017 की पालना मे शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायाल में प्रस्तुत कर अपना अतिक्रमण मौके से हटा लिया जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का ग्राम फर्राशपुरा द्वारा दिनांक 21.02.2018 ने अपने मौका पर्चा में उल्लेखित किया की उक्त आराजी भूमि पर निर्मित पक्का चबूतरा को जे.सी.बी द्वारा भौतिक रूप से मौके से हटा लिया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यो का नजरअंदाज कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानत हुए निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय मे स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 959, 960 रकबा 0.11 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2073 में अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 27.012.2016 के द्वारा अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। किन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं. 96/2017 देवनारायण बनाम सरकार में माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 08.11.2017 पारित कर अपील आंशिक स्वीकार कि गई थी। अतः उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2017 की अपीलान्ट द्वारा पालना नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.12.2016 को यथावत रखा जाकर निर्णय दिनांक 08.02.2018 व 21.03.2018 पारित किये गये है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दौरान अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.11.2017 की पालना में मौके से अतिक्रमण हटा दिया जाना अवगत कराते हुए इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण कर आराजी खसरा नम्बर 959, 960 रकबा 0.11 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा